प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा: आगे की सम्भावनाएँ

वनिता कौल

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने स्वीकार किया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन – ई.सी.सी.ई.) न केवल शिक्षा की सीढ़ी का प्रथम चरण होती है, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण आधार भी होती है। अब वैश्विक स्तर पर शिक्षा के एक चरण के रूप में ई.सी.सी.ई. के विस्तार को 8 वर्ष की उम्र तक माने जाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बाल विकास के दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि 6 से 8 वर्ष की आयु–समूह के बच्चे अपनी जरूरतों तथा लक्षणों में अपने से छोटे बच्चों जैसे ही होते हैं और उनके लिए समान शैक्षिक पद्धतियों की जरूरत होती है। ई.सी.सी.ई. की संकल्पना बच्चों के लिए एक ऐसे समेकित, समग्र कार्यक्रम के रूप में की गई है जिसमें शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य तथा पोषण, सभी के प्रावधान शामिल हैं। ई.सी.सी.ई. की अवधि के भीतर तीन उप–चरणों को चिन्हित किया गया है – (अ) तीन साल या उससे कम उम्र के बच्चों (जिन्हें घर पर आधारित प्रेरक वातावरण तथा देखभाल की आवश्यकता होती है) के लिए प्रारम्भिक प्रेरक चरण; (ब) 3 से 6 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों (जिन्हें समग्र दृष्टिकोण वाले केन्द्र–आधारित प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है) के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा चरण, और (स) 6 से 8 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों (जो कक्षा 1 और 2 में आते हैं) के लिए प्रारम्भिक प्राथमिक शिक्षा चरण।

वैश्विक स्तर पर और देश के भीतर भी, स्नायुविज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा में हुए शोध से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रायोगिक साक्ष्य उपलब्ध हैं कि स्कूल–पूर्व (प्री–स्कूल) शिक्षा में भाग लेने से न केवल पूरा जीवन प्रभावित होता है, बल्कि यह निकट भविष्य की दृष्टि से भी लाभकारी होता है, क्योंकि इससे प्राथमिक शिक्षा के चरण में बच्चों की याददाश्त, उपस्थिति और प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्थापित हो चुका है कि स्कूल के लिए तैयार हो चुकने के अनुभव (विशेष रूप से सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में जहाँ पहली पीढ़ी के सीखने वालों के विभिन्न समूह पर्याप्त भाषाई तथा संज्ञानात्मक तैयारी के बिना ही स्कूल व्यवस्था में दाखिल हो रहे हैं) प्राथमिक कक्षाओं में तालमेल बिठाने और सीखने में मदद करते हैं। अतः प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा न केवल इन नाजुक वर्षों में बच्चे को जीवन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने में, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए यह शिक्षा के अधिकार की संकल्पना को साकार करने में बहुत कारगर निवेश के रूप में भी काम कर सकती है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं – (i) आयुविकास की दृष्टि से, खेल आधारित गतिविधियों के उचित कार्यक्रम, पारस्परिक क्रियाओं तथा अनुभवों (जो जीवनपर्यन्त सीखने और विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करेंगे) के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, तथा (ii) ऐसी विशेष प्रकार की अवधारणाओं तथा कौशल–आधारित गतिविधियों – जो प्राथमिक स्कूली पढ़ाई में प्रवेश से पहले पढ़ने, लिखने तथा अंकगणित (3 आर कहलाने वाली बुनियादी कौशल) सीखने के लिए पूर्व–तैयारी को बढ़ावा देंगी – के द्वारा बच्चों में स्कूल के लिए तैयार होने का भाव विकसित करना। यह इन तीन बुनियादी कौशलों को औपचारिक रूप से सिखाने वाला कार्यक्रम नहीं होता। स्कूल के लिए तैयार होने का उद्देश्य चार से छह वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे अधिक संरचित, परन्तु खेल–आधारित, सीखने के वातावरण के लिए परिपक्वता की दृष्टि से तैयार हो चुकते हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण नई घटनाएँ हुई हैं जिनके प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए विशेष निहितार्थ हैं। नीति के स्तर पर 2006 में भारत सरकार के कामकाज के बँटवारे सम्बन्धी नियमों (बिजनेस एलोकेशन रूल्स) में ई.सी.सी.ई. को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसके बाद, पिछले कुछ वर्षों की एक उल्लेखनीय घटना बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम (आर.टी.ई. 2009) पारित होना है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। हालाँकि अभी इस अधिनियम में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, पर इसकी धारा 11 में यह स्पष्ट करता है कि, "तीन वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने तथा ई.सी.सी.ई. (प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा) प्रदान करने की दृष्टि से, उचित सरकार ऐसे बच्चों के लिए स्कूल–पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकती है।" बाद में संशोधित अनुच्छेद 45 के द्वारा ई.सी.सी.ई. को भी इसमें एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है, अब यह अनुच्छेद इस प्रकार है : "राज्य सभी बच्चों को उनकी आयु के छह वर्ष पूरे होने तक ई.सी.सी.ई. प्रदान करने का प्रयास करेगा।" इन नई घटनाओं ने बच्चों की शिक्षा तथा विकास की बुनियाद के रूप में एक हद तक ई.सी.सी.ई. के, तथा उसके अन्तर्गत स्कूल–पूर्व शिक्षा के, उभर रहे महत्त्व को रेखांकित किया है।

भारत में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की वर्तमान स्थिति

ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र में एक बड़ी घटना हाल ही में ई.सी.सी.ई. पर राष्ट्रीय नीति को मिला वह अनुमोदन है जिसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2013 में संसूचित किया गया। इस नीति के साथ ई.सी.सी.ई. के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा गुणवत्ता के मानदण्डों को भी जोड़ा गया है। नीतिगत स्तर पर उठाए गए ये कदम इस क्षेत्र के विस्तार तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सकारात्मक संभावनाएँ और उम्मीद जगाते हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूल–पूर्व नामांकन में जबर्दस्त छलांग लगी है – 2005 में 21 प्रतिशत से वह 2010 में 47 प्रतिशत हो गया है (यूनेस्को, 2010)। ए.एस.ई.आर. के और अधिक ताजा आँकड़े (2010) दर्शाते हैं कि ग्रामीण इलाकों के 3 से 6 साल की उम्र के 83.6 प्रतिशत बच्चों का किसी न किसी पूर्व–स्कूल कार्यक्रम, जिसमें निजी पूर्व–स्कूल भी शामिल हैं, में नामांकन है। हालाँकि सभी स्रोतों के साथ आँकड़ों की विश्वसनीयता का सवाल हो सकता है, फिर भी इस क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक हद तक इसका श्रेय समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) में तेजी से हुए विस्तार और उसके सार्वभौमीकरण को, और उसके साथ ही अनेक राज्यों के जनजातीय और ग्रामीण इलाकों तक में भी तेजी से बढ़ रही निजी क्षेत्र की सुविधाओं को जाता है। सेण्टर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एण्ड डेवेलपमेंट (सी.ई.सी.ई.डी.), अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली तथा ए.एस.ई.आर. सेण्टर द्वारा आंध्रप्रदेश, आसाम और राजस्थान में हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने दर्शाया है कि निरीक्षित किए गए हर गाँव में एक आँगनवाड़ी पाई गई, जबकि निजी पूर्व–स्कूल सुविधाएँ भी छलांगें लगाती हुई फैल रही हैं। (आई.सी.ई.आई., 2013)

विस्तार की दृष्टि से, भारत में केन्द्र–आधारित प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की सुविधाएँ तीन स्पष्ट रूप से भिन्न धाराओं, अर्थात सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों, में उपलब्ध हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रम आई.सी.डी.एस. है, जिसके लिए केन्द्रीय एजेन्सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। विषयवस्तु सामग्री तथा सुविधाओं, दोनों की गुणवत्ता की दृष्टि से प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, जो इसकी छह सेवाओं में से एक है, की स्थिति न्यूनतम महत्त्व की है, और इसे सभी राज्यों में इसका सबसे कमजोर अंग माना जाता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में अपने 12 लाख आँगनवाड़ी केन्द्रों के संजाल के माध्यम से छह साल से कम उम्र के 7 करोड़ 30 लाख बच्चों से भी अधिक तक पहुँचता है। इनके अतिरिक्त, राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु–सदन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 22038 शिशु–सदनों को मंजूरी दी गई है (एम.डब्ल्यू.सी.डी. 2011), कुछ मामलों में ये शिशु–सदन बच्चों की हिफाजत तथा देखभाल के साथ–साथ पूर्व–स्कूल शिक्षा भी प्रदान करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भी गैर–आई.सी.

डी.एस. इलाकों में 14,235 ई.सी.ई. केन्द्रों को सहायता दे रहा है जिनमें देश भर में लगभग 48,6605 बच्चे भाग लेते हैं, इसके अलावा एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विकास खण्डों (ब्लॉक) में अन्य 4367 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, जिनमें 92,523 बच्चे भाग लेते हैं, को सहायता दी जा रही है एन.पी.ई.जी.ई.एल. प्रगति रिपोर्ट, जून 2011)। सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता सुधारने के कुछ प्रयासों, जैसे कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सामग्री प्रदान करना आदि के लिए धनराशि भी प्रदान करता रहा है।

हालाँकि कोई विश्वसनीय अनुमानित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु हाल के त्वरित सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि निजी क्षेत्र लगातार फैल रहा है और यहाँ तक कि पूर्व–स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए वह ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में भी प्रवेश कर रहा है (ए.यू.डी.,2011)। ए.एस.ई.आर. के 2010 के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले औसतन 11.4 प्रतिशत बच्चे निजी संस्थाओं से पूर्व–प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ राज्यों में यह प्रतिशत इससे काफी अधिक भी हो सकता है। सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि कम शुल्क लेने वाले इन निजी पूर्व–स्कूलों में से अधिकांश में गम्भीर खामियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि बच्चों से ठसी हुई कक्षाएँ और विकास की दृष्टि से अनुपयुक्त पाठ्यक्रम जो बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं (सी.ई.सी.ई.डी., 2013)। निजी उपक्रमों के अलावा, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाएँ (एन.जी.ओ.) भी हैं जिन्हें सरकार तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेन्सियों से सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इस बारे में कोई विश्वस्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की समस्याओं का विश्लेषण

जहाँ विगत वर्षों में ई.सी.ई. में नामांकनों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, न्याय तथा क्षमता की समस्याएँ उल्लेखनीय बनी हुई हैं। सर्वोपरि चिन्ता का विषय यह है कि बड़ी संख्या में बच्चे, पूर्व–स्कूलों में जाए बगैर ही, या उनमें जाकर भी स्कूल के लिए तैयार होने की दृष्टि से प्राथमिक पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त पूर्व तैयारी शिक्षा पाए बगैर ही, प्राथमिक स्कूलों में आ रहे हैं। यह स्थिति माँग करती है कि उन समस्याओं का विश्लेषण किया जाए जिनके परिणामस्वरूप, अनेक नीतिगत प्रावधानों तथा कार्यक्रमों के बावजूद, देश में प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा की यह दशा है। कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ इस प्रकार हैं :

(अ) बच्चों के बड़े होने से जुड़ी जरूरतों और उनकी क्षमताओं की दृष्टि से, प्रारम्भिक बाल्यावस्था के प्रत्येक उप–चरण में आयु के अनुरूप प्रयासों की आवश्यकता की समझ का सार्वजनिक क्षेत्र में अभाव तथा सार्वजनिक और स्वैच्छिक क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को समान स्तर का समझने की प्रवृत्ति।

(ब) आई.सी.डी.एस.में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता न दिया जाना, जिसके परिणामस्वरूप इसे सभी जगह एक पोषण कार्यक्रम की तरह ही देखा जाता है। इसमें विशेष चुनौतियाँ हैं क्योंकि इसमें एक अकेले अप्रशिक्षित तथा बहुत ज्यादा काम के बोझ से लदे कार्यकर्ता से, खराब बुनियादी सुविधाओं (अधोसंरचना) तथा मामूली संसाधनों के साथ, ऐसी बहु–आयामी सेवाएँ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जिनके लिए बिलकुल भिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है।

(स) माता–पिता की आकांक्षाओं का झुकाव अँग्रेजी माध्यम के निजी पूर्व–स्कूलों की ओर होना। यह ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में भी 4 से 5 साल के बच्चों के लगातार आँगनवाड़ियों को छोड़कर निजी पूर्व–स्कूलों में जाने, या कुछ मामलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की वजह से प्राथमिक स्कूलों में जाने, की प्रवृत्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नागालैण्ड, असम, जम्मू और कश्मीर जैसे कुछ राज्यों ने स्वयं पहल करते हुए प्राथमिक स्कूलों में ही पूर्व–स्कूल कक्षाओं को भी जोड़ दिया है ताकि उनके लिए समुदाय की तेजी से बढ़ती हुई माँग को पूरा किया जा सके।

(द) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा में हाल ही तक किन्ही भी मार्गदर्शक सिद्धान्तों, संसाधन सामग्री या गुणवत्ता के मानदण्डों का अभाव होना। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में इसे न्यूनतम महत्त्व दिया गया, तथा निजी क्षेत्र की सुविधाओं में प्राथमिक शिक्षा का नीचे की ओर विस्तार करते हुए विकास की दृष्टि से अनुपयुक्त पद्धतियों को अपनाने के कारण

अनियंत्रित और मनमाने प्रचलनों की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों ही परिदृश्य बच्चों के विकास तथा शिक्षा की दृष्टि से अनुत्पादक और हानिकारक हो सकते हैं।

(ई) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा में, विशेष रूप से राज्य, जिले तथा जिले से नीचे के स्तरों पर, सुविधाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने, उन्हें सहारा देने तथा उनकी निगरानी रखने के लिए संस्थानिक क्षमता का अभाव।

(फ) संस्थानिक क्षमता के अभाव से जुड़ी हुई एक अन्य समस्या ई.सी.सी.ई. के बारे में किसी भी प्रबन्धन जानकारी व्यवस्था (मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम – एम.आई.एस.) या जानकारी आधार–कोष, जो नियोजन या मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक हो सकता हो, का पूरी तरह से अभाव।

इन समस्याओं के बने रहने के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख कारक यह है कि अभी तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ऐसी कोई योजना या समर्पित आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं रही है जो ऊपर चर्चित सर्वांगीण समस्याओं में से अनेक का समग्र रूप से समाधान कर सकती थी। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के सन्दर्भ में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक अनुशंसा की है कि आई.सी.डी.एस. के माध्यम से आँगनवाड़ियों में एक अतिरिक्त कार्यकर्ता की व्यवस्था करके 4 साल तक की उम्र के बच्चों को ई.सी.सी.ई. का अनुभव सुलभ कराया जा सकता है, और इसके अलावा, सभी बच्चों के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में एक वर्ष की पूर्व–प्राथमिक कक्षा को भी जोड़ दिया जाना चाहिए। यदि शिक्षा के अधिकार का पालन करते हुए, सभी राज्यों में कक्षा 1 के लिए आवश्यक आयु को बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया जाए, तो इसके परिणामस्वरूप बच्चों को 2 वर्ष की स्कूल–आधारित प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा मिल सकेगी। जिसे यदि यथोचित तरीके से प्रदान किया जाए तो वह सभी बच्चों के लिए सीखने का एक ठोस आधार निर्मित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

आगे की राह के लिए सुझाव

उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक बदलाव प्रस्तावित किया गया है कि शिक्षा के अधिकार के कानून में दिए गए अधिकारों को नीचे की ओर बढ़ाकर उनमें प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा के चरण को भी शामिल कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुशंसा की गई है कि 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के दायरे में ही लाया जाए, या उसके साथ उसे, 'ऊपर से नीचे' के बजाय 'नीचे से ऊपर' का दृष्टिकोण अपनाते हुए, बच्चों के कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने के कार्यक्रम के रूप में समेकित कर दिया जाए। परन्तु, फिलहाल यह प्रस्ताव ठण्डा पड़ गया है और इसे फिर सामने लाए जाने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव जिन पर विचार किया जा सकता है इस प्रकार हैं :

1. आर.टी.ई. के अनुबन्ध के अनुरूप कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु को 6 वर्ष निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ताकि उन 23 राज्यों में जहाँ उनके कक्षा 1 में प्रवेश की आयु वर्तमान में 5 वर्ष है, 5 साल की उम्र वाले बच्चे स्कूल के लिए तैयार करने वाले किसी प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्र, कक्षा में रखे जाएँगे। ए.एस.ई.आर. के सर्वेक्षण (2010) के अनुसार, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल की उम्र के 60 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे आँगनवाड़ियों में होने के बजाय प्राथमिक स्कूलों में हैं।
2. आँगनवाड़ी केन्द्रों के स्तर का उन्नयन करके उन्हें प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा के ऐसे केन्द्रों में परिवर्तित किए जाने की जरूरत है जिनमें बुनियादी सुविधाएँ, ई.सी.सी.ई. में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त एक समर्पित कार्यकर्ता, 4 वर्ष से कम आयु – जो मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण उम्र होती है – के बच्चों के लिए आयु के अनुकूल प्रारम्भिक प्रेरक एवं शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा सीखने की सामग्री हो।
3. प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक पूर्व–प्राथमिक खण्ड होना आवश्यक है जिसके लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को विकास की दृष्टि से एक ठोस और उपयुक्त तथा स्वीकार्य गुणवत्ता वाला स्कूल की पूर्व–तैयारी का कार्यक्रम प्रदान किया जा सके। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि स्कूल की पूर्व–तैयारी का मतलब पूर्व–स्कूल के चरण में 3

आर (पढ़ना, लिखना तथा अंकगणित) सिखाना नहीं है। प्राथमिक पाठ्यक्रम को नीचे की ओर बढ़ाने का यह चलन बच्चों के सीखने और विकास के लिए बहुत हानिकारक पाया गया है। इसके बजाय, स्कूल की पूर्व–तैयारी का अभिप्राय कुछ संज्ञानात्मक, भाषाई अवधारणाओं तथा कौशलों के साथ–साथ सीखने के प्रति एक सकारात्मक रुझान से है, जो खेल तथा गतिविधि के माध्यम से बच्चे को बाद में अधिक कारगर तरीके से प्राथमिक कक्षाओं में 3 आर सीखने के लिए तैयार करता है।

4. एक 'प्रारम्भिक सीखने की इकाई' की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए जो पूर्व–प्राथमिक तथा शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं को एक इकाई में समेकित कर दे, ताकि पाठ्यक्रम में नियोजित ढंग से 'नीचे से ऊपर की ओर' निरन्तरता आ सके (यह विकास की दृष्टि से उपयुक्त, गैर–औपचारिक तथा खेल–आधारित होना चाहिए), साथ ही उसमें लचीलेपन की गुंजाइश हो ताकि हर बच्चा उसके लिए अनुकूल गति से सीख सके, इस प्रकार यह कदम हर बच्चे के लिए एक ठोस आधार निर्मित करने में योगदान देगा। इस अवधारणा से सम्बन्धित देश के भीतर और देश के बाहर की अच्छी प्रणालियों, अर्थात गतिविधि–आधारित सीखने के कार्यक्रम, जैसे कि कर्नाटक का नली–कली आदि, से मिलने वाली जानकारी पाठ्यक्रम में इस बदलाव के लिए उपयोगी होगी। इस बदलाव के लिए स्कूली व्यवस्था में किन्हीं संरचनात्मक या प्रशासनिक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका जोर मुख्य रूप से पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, और उसके साथ ही हर स्तर के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान किए जाने तथा उससे जुड़ी शिक्षक की तैयारी और सहयोग पर होगा।
5. ई.सी.ई. में डिप्लोमा के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) का आदर्श पाठ्यक्रम इस समेकित अवधारणा को पहले से ही प्रतिबिम्बित करता है क्योंकि इसके दायरे में यह पूर्व–स्कूल तथा कक्षा 1 और 2, दोनों के लिए शिक्षक की तैयारी को शामिल करता है। इसकी और भी समीक्षा की जाना, इसे सशक्त बनाया जाना और प्रारम्भिक सीखने की इकाई की अवधारणा को सहारा देने के लिए अनुकूल बनाया जाना चाहिए, तथा शिक्षक की उपयुक्त तैयारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एन.सी.टी.ई. को इस प्रारम्भिक सीखने के चरण, अर्थात पूर्व–प्राथमिक तथा कक्षा 1 और 2, के शिक्षकों को अपने दायरे में शामिल करने, के लिए मानक योग्यताएँ निर्धारित करने की और अपने टी.ई.टी. (टीचर्स एलिजिबिलिटी टैस्ट – शिक्षक पात्रता परीक्षा) दिशा–निदेशों को इसके अनुरूप बनाने की जरूरत होगी। राज्यों को शिक्षकों की भर्ती करने के उनके नियमों को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे इस डिप्लोमा को हासिल करने वाले स्नातकों को प्रारम्भिक सीखने के चरण, अर्थात पूर्व–प्राथमिक तथा कक्षा 1 और 2, के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करें।
6. सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में पूर्व–स्कूलों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की एक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर वर्तमान गलत धारणाओं को सही करने के लिए सभी भागीदारों को शामिल करने वाला एक सशक्त पैरवी (ऐडवोकेसी) समूह बनाया जाना, और सभी बच्चों को न्यायोचित तथा विकास की दृष्टि से उपयुक्त पूर्व–स्कूल शिक्षा मिलना भी सुनिश्चित किया जाना होगा।

जहाँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करवाने में सहायता दी जाएगी, वहीं स्कूलों को भी बच्चों के लिए तैयार किए जाने की जरूरत होगी। इसके लिए उन्हें समर्पित और प्रशिक्षित शिक्षकों तथा खेलने और सीखने की उत्प्रेरक सामग्री, और प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए कक्षाओं की सुविधाओं के साथ बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण बनाया जाना पड़ेगा। इसके साथ ही ऊपर के संस्थानिक स्तरों पर, विशेष रूप से जिला और ब्लॉक स्तरों पर, नागरिक समाज संगठनों और पेशेवर लोगों की भागीदारी के माध्यम से संसाधनों की क्षमताओं को भी प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए सशक्त बनाए जाने की जरूरत होगी, ताकि संसाधनों के लिए निरन्तर सहयोग और व्यापक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

वनिता कौल ने इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली से मनोविज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे स्कूल ऑफ ऐजुकेशन स्टडीज एण्ड सेण्टर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एण्ड डेवेलपमेंट, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में प्रोफेसर तथा डायरेक्टर हैं। सेण्टर की डायरेक्टर के रूप में उन्होंने प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शोध तथा एडवोकेसी परियोजनाओं को प्रारम्भ किया है। अभी वे जिस महत्त्वपूर्ण शोध का नेतृत्व कर रही हैं वह ई.सी.ई. में गुणवत्ता के अन्तरों से प्राथमिक परिणामों पर पड़ने वाले तात्कालिक और मध्यकालिक प्रभाव का लोंजीट्यूडनल (दीर्घकालिक) अध्ययन है। इसके पहले वे वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ तथा एन.सी.ई.आर.टी. में पूर्व–स्कूल तथा प्राथमिक शिक्षा के विभाग में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष भी रही हैं। उनसे vkaul54@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : भरत त्रिपाठी